रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062020-219669
CG-DL-E-01062020-219669

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1512] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
No. 1512] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2020

का.आ. 1682(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए) गुजरात (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त प्राधिकरण कहा गया है) की सहायता के प्रयोजन के लिए, गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दूसरी राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इसके पश्चात् एसईएसी-2 कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(1)	श्री अक्षय कुमार सक्सेना, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), के-219, सेक्टर 19, गांधीनगर - 382019, गुजरात ।	अध्यक्ष ;
(2)	डॉ0 सुरेश चंद्र पंत, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), प्लाट सं0 727/ए, सेक्टर 8, गांधीनगर - 382007, गुजरात ।	सदस्य ;

(3)	डॉ0 एम. एन. पटेल, पूर्व कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय, 30, शिव गनेश बंगला 2, ज्याडुस अस्पताल रोड़, थलतेज, अहमदाबाद – 380059, गुजरात ।	सदस्य ;
(4)	श्री धनसुखभाई सी. चौधरी, पूर्व निदेशक, औद्योगिक, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ए-26/27, न्यूक्लियर पार्क सोसाइटी, यश परिसर के सामने, गोत्री रोड़, बड़ोदरा, गुजरात ।	सदस्य ;
(5)	श्री जे.के. ब्यास, पूर्व निदेशक (पर्यावरण), ए/1002, रतनाकर-4, प्रेरणा तीर्थ देरासर रोड़, रतनाकर-2 के सामने, जोधपुर गांव, स्टेलाइट, अहमदाबाद – 380015, गुजरात ।	सदस्य ;
(6)	श्री आनंद जिनजला, पूर्व उप सचिव, प्लाट सं0 505/1, सेक्टर-6/बी, गांधीनगर – 382006, गुजरात ।	सदस्य ;
(7)	श्री बी. एम. टेलर, ए-103, अवधूत नगर सोसाइटी-1, गली नं0 7, पोलीटेकनीक के पीछे, भरूच – 392002, गुजरात ।	सदस्य ;
(8)	सदस्य सचिव, गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, “पर्यावरण भवन” सेक्टर 10ए, गांधीनगर, गुजरात ।	सचिव, पदेन ।

2. क्रम सं0 (3) में विनिर्दिष्ट सदस्य 31 मई, 2022 तक पद धारण करेंगे ।

3. एसईएसी-2 की सिफारिशें, उक्त प्राधिकरण द्वारा अपने विनिश्चय के लिए विचार में ली जाएगी ।

4. एसईएसी-2 के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

5. एसईएसी-2 ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. एसईएसी-2, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

7. गुजरात राज्य सरकार, एसईएसी-2 के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

8. एसईएसी-2 के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता गुजरात राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.सं.जे-11013/23/2007-आई.ए.।।(।)(पार्ट)]

अरविंद नॉटियाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2020

S.O. 1682(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, for the purpose of assisting the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Gujarat (hereinafter in this notification referred to as the said Authority), in consultation with the State Government of Gujarat, hereby constitutes the Second State Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as SEAC-2) from the date of publication of this notification in the official Gazette, comprising of the following Members, namely:-.

(1.)	Shri Akshay Kumar Saxena, Indian Forest Service (Retired) K-219, Sector-19, Gandhinagar - 382019, Gujarat.	Chairman;
(2.)	Dr. Suresh Chandra Pant, Indian Forest Service (Retired) Plot No. 727/A, Sector-8, Gandhinagar - 382007, Gujarat.	Member;
(3.)	Dr. M. N. Patel, Ex. Vice Chancellor, Gujarat University 30, Shiv Ganesh Banglow-2, Zydus Hospital Road, Thaltej, Ahmedabad - 380059, Gujarat.	Member;
(4.)	Shri Dhansukhbhai C. Chaudhari, Ex. Director of Industrial, Safety & Health A-26/27, Nuclear Park Society, Opposite Yash Complex, Gotri Road, Vadodara, Gujarat.	Member;
(5.)	Shri J. K. Vyas, Ex Director (Environment) A/1002, Ratnakar-4, Prerana Tirth Derasar Road, Opposite Ratnakar-2, Jodhpur Village, Satellite, Ahmedabad - 380015, Gujarat.	Member;
(6.)	Shri Anand Zinzala, Ex Deputy Secretary, Plot No. 505/1, Sector- 6/B, Gandhinagar - 382006, Gujarat.	Member;
(7.)	Shri B. M. Tailor, A-103, Avdhootnagar Society-1, Street No. 7, Behind Polytechnic, Bharuch - 392002, Gujarat.	Member;
(8.)	Member Secretary, Gujarat Pollution Control Board, "Paryavaran Bhavan" Sector-10-A, Gandhinagar, Gujarat.	Secretary. - ex-officio.

2. The member as specified at serial number (3.), shall hold the post up to 31st May, 2022.

3. The recommendations of the SEAC-2, shall be taken into consideration by the said Authority for its decision.

4. The Chairman and Members of the SEAC-2, shall hold office for a period of three years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

5. The SEAC-2 shall exercise such powers and follow such procedures as are enumerated in the said notification.

6. The SEAC-2 shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

7. The State Government of Gujarat shall notify an agency to act as Secretariat for the SEAC-2, and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

8. The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of SEAC-2 shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Gujarat.

[F.No. J-11013/23/2007-IA-II (I)Pt.]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.01 20:19:25 +05'30'